रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231096
CG-DL-E-13112021-231096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4308] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/ कार्तिक 20, 1943
No. 4308] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4673(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2153(अ) दिनांक 03.06.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में NH2 के कि.मी. 935.59 से कि.मी. 973.4 (औरंगाबाद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / 4-लेन/6-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.06.2021" को "दैनिक भास्कर " और " टाइम् ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में NH2 के कि.मी. 935.59 से कि.मी. 973.4 (औरंगाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार	**जिले का नाम: औरंगाबाद**				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: औरंगाबाद				
	गांव का नाम: कांबेहरि				
1	800	सरकारी	कृषि	0.1305	गैरमज़रुआ मालिक ()
	गांव का नाम: शाहपुर				
2	2341	निजी	आवासीय	0.0272	अखिलेश्वर सिंह पिता स्व0 वीरेंद्र प्रताप सिंह ()
			कुल	**0.1577**	

[फा. सं. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4673(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2153(E) dated 03.06.2021 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six laning, etc.), maintenance,

management and operation of NH2 on the stretch of land from Km. 935.59 to Km. 973.4 (Aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Times of India" both dated 16.06.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH2 in the stretch of land from Km. 935.59 to Km. 973.4 (Aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of BIHAR

State: BIHAR District: AURANGABAD					
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Aurangabad				
	Village: Kanbehri				
1	800	Government	Agriculture	0.1305	Gairmazarua Malik
	Village: Shahpur				
2	2341	Private	Residential	0.0272	Akhileshwar singh s/o Lt. Virendra Pratap Singh
			TOTAL	**0.1577**	

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.13 12:42:46 +05'30'